

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2025/6/43

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 17.07.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 इशाक पुत्र मिठू 2 साहली पुत्र मिठू के कायम मुकाम:-
2/1 शकुर 2/2 भली पिसरान साहली 2/3 रेशमो पत्नि साहली जाति सिंधी मुसलमान निवासी झाड़वा पटवार हल्का चूली विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।


1 अबास पुत्र चान्दणा 2 अलाबक्स पुत्र मोहम्मद 3 इब्राहिम पुत्र मिठू 4 खेरदीन पुत्र चान्दणा 5 जुसब पुत्र चान्दणा 6 मोहत पत्नी मोहम्मद 7 सुमार पुत्र लागोदर 8 हउवा पत्नी चान्दणा 9 हऊवा पत्नी लागोदर 10 हऊवा पत्नी हासम 11 हुसैन पुत्र लागोदर 12 फोजा पुत्र दोदा जाति सिंधी मुसलमान 13 कल्याण सिंह पुत्र गणपत सिंह 14 गणपत सिंह पुत्र नीम्बसिंह जाति राजपूत निवासी झाड़वा पटवार हल्का चूली विशाला तहसील व जिला बाड़मेर। 15 तहसीलदार बाड़मेर जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 45/2025

दिनांक- 09/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा झाड़वा पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 84/29 रकबा 6.1512 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड बाड़मेर

दिनांक- बाड़मेर

17.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6/44-47

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चूली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण इशाक पुत्र मिठू वगैराह जाति सिंधी मुसलमान निवासी झाड़वा पटवार हल्का चूली विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अबास पुत्र चान्दणा वगैराह जाति सिंधी मुसलमान निवासी झाड़वा पटवार हल्का चूली विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर